



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



कार्यालय

भारतीय सर्वेक्षण विभाग मुद्रणालय

निकट - पालम रेलवे फाटक

दिल्ली कैंट - 110010

फोन नं. 25674518, 25672167, 25672140

20893128, 20893129, 20893130

फैक्स नं. 91-1125674886, 25674693

E mail : wpg.del.soi@gov.in



OFFICE OF
SURVEY OF INDIA PRINTING PRESS

NEAR PALAM RLY. CROSSING

DELHI CANTT.110010

Ph. No. 25674518, 256721167, 25672140,

20893128, 20893129, 20893130

Fax No. 91-11-25674886, 25674693

E mail : wpg.del.soi@gov.in

नेमी आदेश संख्या: 05 / 37-जी-9 दिनांक 20.04.2026
Routine Order No.: 05 / 37-G-9 dated 20.04.2026

1. एम.ए.सी.पी योजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण

Fixation of salary of working employees under the MACP scheme.

(i) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19.05.2009 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2015-स्था०(डी) दिनांक 22.10.2019 तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. एस. एम./02/02/2021 दिनांक 25.08.2021 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'सी' स्थापना में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त हुए तथा वर्तमान में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत, निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार वेतन मैट्रिक्स के **लेवल 6** में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत **तृतीय** वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया |

क्र. सं.	नाम व पदनाम	एम.ए.सी.पी. मिलने की तिथि	वेतन जिसमें अगला वित्तीय उन्नयन दिया जाना है	प्राधिकार
1.	श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर, कार्यालय अधीक्षक Shri Devendra Singh Thakur, Office Superintendent	01.02.2021	वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 में Level 6 of Pay Matrix	म.स.का. का पत्र सं. सी-353/1902- एम.ए.सी.पी.(जनरल) दिनांक 01.04.2026

i. अतिरिक्त व्यय इस कार्यालय के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा |

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office and debited to appropriate head of account.

ii. एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर.22(I)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा |

The individual is required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial Upgradation under MACP Scheme.

2. स्थानान्तरण पर पदोन्नति / Transfer on Promotion

निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी ने उनके नाम के समक्ष लिखित विवरणानुसार इस कार्यालय में स्थानांतरण पर पदोन्नति पर अपनी उपस्थिति दी |

The under mentioned officer/employee has joined this office on transfer on promotion been transferred from this office as per the details written against their names:-

क्रम. सं. S.No	नाम Name	प्रभावी तिथि Effective Date	कार्यालय जहाँ से स्थानांतरित हुए Office from which transferred	प्राधिकार/ Authority
1.	श्रीमती Joplyne Pyngrope, स्थापना एवं लेखा अधिकारी Shri Joplyne Pyngrope, Estt. & Accounts Officer	13.04.2026 पूर्वाह्न (F/N)	मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश भू-स्थानिक, शिलॉंग Meghalaya & Arunachal Pradesh GD, Shillong	म.स.का. का पत्र सं. सी.पी.-253/718-ए-(E&AO) (7087) दिनांक 06.03.2026

3. नकदी आहरण एवं वितरण भत्ता/ **Cash Handling Allowance:**

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, नई दिल्ली दिनांक 06.07.2017 Resolution No. 11-1/2016-IC के अंतर्गत सातवें वेतन आयोग के अनुसार तथा और DOPT No. 4/6/2017. Estt (Pay-II) दिनांक 18.01.2019 के आदेशानुसार निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरण अनुसार खजांची का कार्य करने के लिए नकदी आहरण एवं वितरण भत्ता स्वीकृत किया जाता है |

In terms of Seventh Pay Commission Government of India, Ministry of Finance (Expenditure Department), New Delhi dated 06.07.2017 Resolution No. 11-1/2016-IC and DOPT No. 4/6/2017. Estt (Pay-II), dated 18.01.2019, sanction is hereby granted cash handling allowance to the under mentioned employee as per detail shown against his name :-

क्र.सं S.No	नाम व पदनाम Name & Designation	अवधि Period	नकदी आहरण एवं वितरण भत्ता Rate of Cash handling allowance
1.	श्री रवि, अवर श्रेणी लिपिक Shri Ravi, LDC	01.04.2026 से 06.06.2026	₹ 875/- प्रति माह

टिप्पणियां:-

- अतिरिक्त व्यय इस कार्यालय ले लिए स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा |

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office and debited to appropriate head of account.

4. नकदी आहरण एवं वितरण भत्ता/ **Cash Handling Allowance(on temporary basis):**

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, नई दिल्ली दिनांक 06.07.2017 Resolution No. 11-1/2016-IC के अंतर्गत सातवें वेतन आयोग के अनुसार तथा और DOPT No. 4/6/2017. Estt (Pay-II) दिनांक

18.01.2019 के आदेशानुसार निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरण अनुसार खजांची के अवकाश पर होने की स्थिति में अस्थायी रूप से खजांची का कार्य करने के लिए नकदी आहरण एवं वितरण भत्ता स्वीकृत किया जाता है |

In accordance with the provisions of the Seventh Pay Commission and as per the orders issued vide DOPT No. 4/6/2017 Estt. (Pay-II) dated 18.01.2019, the following employee is hereby granted Cash Handling Allowance for temporarily performing the duties of Cashier on account of the regular cashier being on leave, as per the details mentioned against his name.

क्र.सं S.No	नाम व पदनाम Name & Designation	अवधि Period	नकदी आहरण एवं वितरण भत्ता Rate of Cash handling allowance
1.	श्री बंटी, प्रवर श्रेणी लिपिक Shri Bunty, UDC	28.02.2026(A/ N) से 23.03.2026(F/N)	₹ 875/- प्रति माह के दर से

टिप्पणियां:-

- अतिरिक्त व्यय इस कार्यालय ले लिए स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा |

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office and debited to appropriate head of account.

(इकरार अहमद)
विंग प्रभारी एवं प्रबंधक (वरिष्ठ)

प्रतिलिपि:-

- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु |
- स्थापना एवं लेखा अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग मुद्रणालय को सूचनार्थ |
- महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ |